संख्याः– 62 /एक–10–2019–33(36)/18 टीसी

प्रेषक,

राधे श्याम मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनॉकः 15 फरवरी, 2019

विषयः–देवरिया महोत्सव दिनांकः 09–23 फरवरी, 2019 के दौरान स्थानीय आपदाओं से बचाव एवं इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु संचालित किये जाने वाले कार्यकमों हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक आपके अर्द्वशासकीय पत्र सं0–37/ओएसडी, दिनांक 04.02.2019 द्वारा जनपद देवरिया में आयोजित "देवरिया महोत्सव" दिनांक 09–23 फरवरी तक आयोजित किये जाने एवं जनपद में स्थानीय आपदा जैसे बाढ, भूकम्प, चकवात, आंधी–तूफान, बेमौसम वर्षा, अग्निकाण्ड आदि से बचाव एवं इनके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु संचालित किये जाने वाले निम्न कार्यकमों के आयोजन हेतु धनराशि रू0 10,00,000/– की मांग की गयी हैः–

क0 सं0	प्रस्तावित कार्यक्रम	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	बाढ़ से बचाव हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संशाधनों के प्रयोग से जीवन रक्षक उपकरणों को तैयार किया जाना तथा प्रयोग में लाये जाने के संबंध में प्रचार–प्रसार।	8,00,000
2	अग्निकाण्ड, बेमौसम वर्षा तथा पर्यावरण संरक्षण चित्रकला एवं श्लोगन राईटिंग प्रतियोगिता का आयोजन	1,00,000
3	विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान क्या करें? क्या न करें? तथा राज्य आपदा मोचक निधि में दिये जाने वाले राहत राशि व सहयोग विषय पर प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण व वितरण।	1,00,000
	कुल योग	**10,00,000**

2– आपके द्वारा किये गये अनुरोध के कम में जनपद देवरिया में उपरोक्त कार्यकमों के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य आपदा मोचक निधि के कैपिसिटी बिल्डिंग मद से **रू0 10,00,000/– की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

3. इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2019 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

6. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमो की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं0 आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ***"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–11–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय–42–अन्य व्यय"*** के नामे डाला जायेगा।

4– व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(राधे श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या– 62 /एक–10–2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/राजस्व अनुभाग–6/11
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधे श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner